

प्रोजेक्ट पर वनमण्डलाधिकारी का संक्षिप्त टीप

डिण्डौरी सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण के प्रकरण में परिक्षेत्र शहपुरा के वनकक्ष क्रमांक O-1249, RF-35, O-1119 रकवा 5.514हे०, शाहपुर के वनकक्ष क्रमांक O-1345 , वन विभाग के अधिपत्य में गोदाम की भूमि रकवा 0.711हे० एवं परिक्षेत्र डिण्डौरी के वनकक्ष क्रमांक— RF-194, RF-245 रकवा 2.231हे०, कुल रकवा 8.456 हे० वनभूमि उपयोग करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.6 है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 1491 वृक्ष एवं 560 नग बांस प्रभावित हो रहे हैं। आवेदित क्षेत्र में संकटापन्न एवं विलुप्त प्रजाति निरंक है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) के लिये 8.456 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तत की अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी